

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. ई-1-514-2019-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. एफ-5-20-2018-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के

अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री बी. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

| अ. क्र. | अवकाश अवधि | कुल दिन | अवकाश का प्रकार | अभियुक्ति |
|---------|------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | दिनांक 30 नवम्बर 2019. | एक | पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश. | अवकाश के पश्चात् 01 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. एफ 1-93-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पु. मु., भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर से 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित कोलंबो, श्रीलंका की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)273-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री महान भारत सागर, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात/पीटीआरआई, पु.मु., भोपाल ने स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 जून से 25 अगस्त 2019 तक, तिरासी दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ छियासठ दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)393-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा, डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (वित्तीय एवं सहकारिता अपराध) लोसेगा एवं सू. का. अधि. पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2019 में दिनांक 10 से 13 दिसम्बर 2019 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत अकेले गृह नगर भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (वित्तीय एवं सहकारिता अपराध) लोसेगा एवं सू. का. अधि. पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 30-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2018 को निरस्त करते हुए, श्री रजत सकलेचा, परि. भापुसे, तत्का. सहायक पुलिस अधीक्षक/एसएचओ थाना, बिरला, उज्जैन वर्तमान में अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम 1955 के नियम 15 सहपठित नियम 21 के अन्तर्गत निहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 14 मई से 5 दिसम्बर 2018 तक, दो सौ छः दिवस का असाधारण अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि असाधारण अवकाश (EOL) के लिये कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जावेगा.

क्र. एफ 1(ए)93-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. (प्रशासन) पु.मु., भोपाल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 जनवरी 2020 व दिनांक 18-19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक,

अ.अ.वि. (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2019 व 24 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2019 के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गृह नगर जिला-हैदराबाद (तेलंगाना) जाने हेतु दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 व दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| 1. श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती के. मालती लता | — | पत्नी |
| 3. श्री के. आदित्य प्रकाश | — | पुत्र |
| 4. श्री के. अरूणाधीरेश्वर अग्रित | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 40-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, एस.ए.एफ. रेन्ज, भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त करता है।

क्र. एफ-1(ए) 63-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अजाक) पु. मु., भोपाल का दिनांक 3 से 14 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 फरवरी 2020 व दिनांक 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विजय खत्री, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (अजाक) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1ए-152-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2020 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए) 169-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए

उसके स्थान पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 16 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्र. एफ 1(ए)32-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अमित कुमार, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, गोविन्दपुरा, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 9 जनवरी 2020 तक, कुल छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर भारत भ्रमण अन्तर्गत उदयपुर (राजस्थान) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 1. अमित कुमार | — | स्वयं |
| 2. डॉ. स्वर्णा सरस्वती | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, गोविन्दपुरा, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री अमित कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए)185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु. मु., भोपाल को दिनांक 20 से 22 जनवरी 2020 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे-90, अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैनु./सतर्कता, पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 में दिनांक 24 फरवरी से 28 मार्च 2020 तक, कुल चौतीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 23 फरवरी 2020 व 29 मार्च 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर न्यू चण्डीगढ़ (पंजाब) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री बी. बी. शर्मा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती कांता शर्मा | — | पत्नी |
| 3. श्री ईशान शर्मा | — | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैनु./सतर्कता, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 81-2011-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2020 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री पी. एस. उइके, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ 1-91-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे नगर पुलिस अधीक्षक, गढ़ा, जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित Seychelles (Africa) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नगर पुलिस अधीक्षक, गढ़ा, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. एफ 1(ए)256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 29 फरवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित प्रदान की जाती है।

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पूर्व), वि.पु.स्था., लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष भार्गव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

फा. क्र. 746-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक 871-इक्कीस-ब-(दो), दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/ग्वालियर में एक वर्ष के लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल में एक माह अर्थात् 29 फरवरी 2020 तक की अभिवृद्धि करता है।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

फा. क्र. 436-2020-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTO Writ Petition (Criminal) No. 1/2019 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2019 एवं संचालक लोक अभियोजन के प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6769-इक्कीस-ब-(दो), दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को अतिष्ठित करते हुए नीचे दर्शित तालिका के कॉलम (3) में दर्शित अनन्यतः विशेष न्यायालयों के सामने उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अभियोजन अधिकारियों को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों के जांच/विचारण हेतु अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है:—

तालिका

| स. क्र. (1) | स्थान (2) | न्यायाधीश का नाम एवं पदस्थापना (3) | अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक (4) |
|----------------|--------------------------|---|---|
| 1 | अलीराजपुर | श्री के. जी. सुरेखा, सत्र न्यायाधीश | श्री पीरूसिंह अहोरिया, अति. डीपीओ |
| 2 | अनूपपुर | श्री भूपेन्द्र नकवाल, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री हेमंत अग्रवाल, एडीपीओ |
| 3 | अशोकनगर | श्रीमती प्रिया शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री रोशनलाल छापरिया, डीपीओ |
| 4 | बालाघाट | श्री रामजी लाल ताम्रकर, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री अखिल कुशराम, एडीपीओ |
| 5 | बैतूल | श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी अपर सत्र न्यायाधीश | श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी, एडीपीओ |
| 6 | भोपाल | 1. श्रीमती वंदना जैन, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, अपर सत्र न्यायाधीश | 1. श्रीमती अनिता सिंह, डीपीओ 2. श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, अति. डीपीओ |
| 7 | भिण्ड | कु. श्वेता गोयल, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री बनवारीलाल शर्मा, अति. डीपीओ |
| 8 | छतरपुर | श्रीमती नोरिन निगम, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री एस. के. चतुर्वेदी, डीपीओ |
| 9 | बिजावर (छतरपुर) | श्रीमती बरखा दिनकर, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री अजय कुमार मिश्रा, एडीपीओ |
| 10 | छिन्दवाड़ा | श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री दिनेश कुमार उईके, एडीपीओ |
| 11 | अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) | श्रीमती निशा विश्वकर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री लोकेश घोरमारे, एडीपीओ |
| 12 | दमोह | श्रीमती उषा तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री बी. एम. शर्मा, डीपीओ |
| 13 | दतिया | श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री पुष्पेन्द्र गर्ग, डीपीओ |
| 14 | देवास | श्री विकास भट्टेले, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री राजेन्द्र खांडेकर, डीपीओ |
| 15 | धार | श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती आरती अग्रवाल, अति. डीपीओ |
| 16 | गुना | श्रीमती शशिकांता वैश्य, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री आर. के. दुबे, डीपीओ |
| 17 | ग्वालियर | श्रीमती अर्चना सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री ए. के. मिश्रा, अति. डीपीओ |
| 18 | होशंगाबाद | श्री सुरेश कुमार चौबे, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री के. पी. अहिरवार, डीपीओ |
| 19 | इन्दौर | 1. श्रीमती सविता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती नीलम शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश 3. श्रीमती वर्षा शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश | 1. श्री संजय कुमार मीणा, अति. डीपीओ 2. श्रीमती सुशीला राठौर, एडीपीओ 3. श्रीमती प्रीति अग्रवाल, एडीपीओ |
| 20 | जबलपुर | 1. श्रीमती इन्द्रा सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती संगीता यादव, अपर सत्र न्यायाधीश | 1. श्रीमती स्मृतिलता बडकरे, अतिरिक्त डीपीओ 2. श्री अजय जैन, डीपीओ |
| 21 | कटनी | श्रीमती माधुरी राज लालजी, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री धर्मेन्द्र सिंह तारण, अति. डीपीओ |
| 22 | मण्डला | डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री अरूण मिश्रा, डीपीओ |
| 23 | मंदसौर | श्रीमती निशा गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री नीतेश कृष्णन, एडीपीओ |
| 24 | मुरैना | श्रीमती यतेश सिसोदिया, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती प्रतिभा उमरिया, अति. डीपीओ |
| 25 | नरसिंहपुर | श्रीमती अनिता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री विनोद परोहा, डीपीओ |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 26 | रायसेन | श्रीमती नीलम मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती भारती गेडाम, अति. डीपीओ |
| 27 | राजगढ़ (ब्यावरा) | श्रीमती अंजली पारे, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री आलोक श्रीवास्तव, डीपीओ |
| 28 | रतलाम | 1. श्री साबिर अहमद, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्री तरूण सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती सीमा शर्मा, एडीपीओ श्री गौतम परमार, एडीपीओ |
| 29 | रीवा | सुश्री महिमा कछवाहा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री रविन्द्र सिंह, एडीपीओ |
| 30 | सागर | 1. श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगरेशी, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री राजीव रूसिया, डीपीओ श्रीमती प्रियंका जैन, एडीपीओ |
| 31. | सतना | 1. श्रीमती क्षिप्रा पटेल, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती दिपिका मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश | 1. श्रीमती ज्योति जैन अति. डीपीओ 2. श्री रामपाल सिंह, डीपीओ |
| 32 | सिवनी | श्रीमती सुमन उईके, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती दीपा मर्सकोले, डीपीओ |
| 33 | शहडोल | श्री अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री विश्वजीत पटेल, डीपीओ |
| 34 | शाजापुर | श्रीमती रामा जयंत मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, डीपीओ |
| 35 | शिवपुरी | श्रीमती सिद्धि मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री संजीव गुप्ता, डीपीओ |
| 36 | सीधी | श्री योगिराज उपाध्याय, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती भारती शर्मा, डीपीओ |
| 37 | सिंगरौली | श्री जितेन्द्र कुमार पाराशर, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री आशुतोष गरवाल, अति. डीपीओ |
| 38 | टीकमगढ़ | श्रीमती ज्योति राजपूत, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री आर. सी. चतुर्वेदी, डीपीओ |
| 39 | उज्जैन | 1. श्रीतमी (डॉ.) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश. 2. श्री प्रेममाल सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश | 1. श्री सूरज बछेरिया, अति. डीपीओ 2. श्रीमती ईश्वर केलकर, अति. डीपीओ |
| 40 | विदिशा | कु. प्रतिष्ठा अवस्थी, अपर सत्र न्यायाधीश | श्रीमती प्रतिभा गौतम, एडीपीओ |
| 41 | बासौदा विदिशा | श्री राजेश कुमार अग्रवाल, (जे.आर.) अपर सत्र न्यायाधीश. | श्री दिनेश कुमार असैया, एडीपीओ |
| 42 | पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर. | श्रीमती आरती शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री प्रदीप सिंह अलावा, एडीपीओ |
| 43 | बडवाह पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर. | श्री हरिश भदौरिया, अपर सत्र न्यायाधीश | श्री चम्पालाल मुजाल्दा, एडीपीओ |

उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में दर्शित अनन्यतः विशेष लोक अभियोजकों की अनुपस्थिति में चाहे ऐसी अनुपस्थिति किसी भी कारण हो, उनके स्थान पर कार्य करने हेतु संबंधित जिला दण्डाधिकारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 2277-इक्कीस-ब-(दो) 2019, दिनांक 1 मई 2019 द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों या उनमें से किसी को अधिकृत कर सकेंगे.

फा. क्र. 778-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में श्री नरेन्द्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए, उन्हें

आगामी आदेश तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली से समबद्ध करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

पंजी क्र. 262-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-बेगमगंज, जिला-रायसेन में विभागीय आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री राजेन्द्र मुखरैया, का दिनांक 3 सितम्बर 2019 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. एफ-9-11-2016-पैंतालीस.—भारत सरकार की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत रीजनल कनेक्टिविटी हेतु मध्यप्रदेश

शासन, भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (क्रियान्वयन एजेन्सी) के मध्य निष्पादित करारनामा (MOU) दिनांक 11 नवम्बर 2016 की कंडिका 4.2.2. अनुसार राज्य सरकार द्वारा आरसीएस हवाई अड्डों पर रियायती दर पर बिजली एवं पानी उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरसीएस हवाई अड्डों पर बिजली/पानी के वास्तविक व्यय पर प्रथम 2 आरसीएस उड़ान हेतु 20% एवं इसके उपरान्त प्रति आरसीएस उड़ान 5% अतिरिक्त अनुदान प्रदाय किया जावे. अनुदान की अधिकतम सीमा 50% नियत की जाती है।

2. उक्त अनुदान की प्रतिपूर्ति विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा सीधे विद्युत् वितरण कम्पनी एवं पेयजल हेतु संबंधित निकाय को जा सकेगी।

3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की यूओ टीप क्रमांक 43-716-ब-2-चार-2019, दिनांक 30 जनवरी 2020 द्वारा प्रदान किये गये परामर्श उपरान्त जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,

ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

शुजालपुर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 545-वि.यो. शुजालपुर-नग्रानि-2020.—एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन
2. कलेक्टर, शाजापुर, जिला शाजापुर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

अध्याय-6

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

| अनु. क्र. | उपयोग/ गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में) | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में) | भू-तल अधिकतम कव्हेरेज (प्रतिशत में) | एफ.ए. आर. | ऊंचाई (मीटर में) | न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में) सामने पीछे साईड्स | | | न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में) |
|-----------|----------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------------|--|--------------|--------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 59 | भूखण्डीय विकास | 2.00 | 6.00 | 30-60 एकल | 1:1.25 | 12.50 | लेआउट अनुसार | लेआउट अनुसार | लेआउट अनुसार | A=100 | (1) फ्रण्टेज = ले-आउट |

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अध्याय-6

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

| अनु. क्र. | उपयोग/ गतिविधि | न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में) | सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में) | भू-तल अधिकतम कव्हेरेज (प्रतिशत में) | एफ.ए. आर. | ऊंचाई (मीटर में) | न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में) सामने पीछे साईड्स | | | न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र | अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में) |
|-----------|----------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------------|--|--------------|--------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 59 | भूखण्डीय विकास | कोई नहीं | 6.00 | 30-60 एकल | 1:1.25 | 12.50 | लेआउट अनुसार | लेआउट अनुसार | लेआउट अनुसार | A=100 | (1) फ्रण्टेज = ले-आउट |

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 81-2-फा. दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 26 मई से 6 जून 2020 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 1800-एस.सी.दो-2020.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, निधि निवेदिता, कलेक्टर, राजगढ़, एतद्वारा वर्ष 2020 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

| क्र. (1) | दिनांक (2) | दिन (वार) (3) | त्यौहार का नाम (4) |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 11 मार्च 2020 | बुधवार | उर्स बाबा बदखशानी |
| 2 | 26 अक्टूबर 2020 | सोमवार | दशहरा मिलन |
| 3 | 13 नवम्बर 2020 | शुक्रवार | रूप चौदस |

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

निधि निवेदिता, संयुक्त कलेक्टर वास्ते कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा. प्र. क्रमांक 59-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत सीताझिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सीताझिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

| जिला | तहसील | नगर/ ग्राम | कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता | खसरा नम्बर | कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) | योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है। |
|------------|-------|---|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम— सिमरियाकलां, प0ह0न0-28 ब0न0-284, रा0नि0भ0— चौरई | 1.गुलाबवती स्व. पति उमराब प्रसाद ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमि स्वामी—सिमरियाकलां | 60/2 | 0.536 | सीताझिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये। |
| | | कुल योग | | 1 | 0.536 हेक्टेयर | |

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक 630-भू-अर्जन-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक-688/2795/2018/तीन/जेल/भोपाल, दिनांक 19.03.2019 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------------|--------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| छिन्दवाड़ा | मोहखेड | ग्राम-पौनारी प0ह0न-44/46 ब.न.-353 रा.नि.मं. -इकलबिहरी | रकबा-0.090 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां। | भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा | नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 25-भू-अर्जन-2019

धार, दिनांक 2 जनवरी 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम काकड़वा तहसील कुशी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

| ग्राम - काकड़वा | | तहसील कुशी | | |
|-----------------|---|---|---------|-------|
| क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर) | | |
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1 | छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु | 4.610 | 2.596 | 7.206 |
| | योग | 4.610 | 2.596 | 7.206 |

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम काकड़वा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - काकड़वा

तहसील - कुशी

| स.क्र. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम | भूमि का रकबा | | | | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) | | |
|--------|--|--------------|--------|---------|----------|---|---------|----------|
| | | खसरा क्रमांक | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | भूरसिंह पिता फूलसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 10/1 | 0.000 | 0.478 | 0.478 | 0.000 | 0.284 | 0.284 |
| 2 | निहालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 10/2 | 0.000 | 1.518 | 1.518 | 0.000 | 1.074 | 1.074 |
| 3 | भुवानसिंह पिता नाहला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 12/1 | 0.000 | 1.347 | 1.347 | 0.000 | 0.444 | 0.444 |
| 4 | दीपसिंह पिता नाहला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 12/2 | 0.000 | 1.610 | 1.610 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 5 | वालसिंह सदन पिता बदनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 29 | 0.000 | 2.979 | 2.979 | 0.000 | 0.544 | 0.544 |
| 6 | समरु बदन राजुबाई भंगडी ठाकुरबाई पिता बालू व भूरलीबाई बेवा बालू जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 32 | 1.024 | 0.000 | 1.024 | 0.719 | 0.000 | 0.719 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 | जस्सु पिता हेमरिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 33/1 | 0.877 | 0.000 | 0.877 | 0.487 | 0.000 | 0.487 |
| 8 | शेरसिंह पिता नुरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 33/2 | 0.659 | 0.000 | 0.659 | 0.601 | 0.000 | 0.601 |
| 9 | नानभू पिता हेमरिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 33/3 | 0.490 | 0.000 | 0.490 | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| 10 | बनसिंह पिता नुरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 35/1/1 | 0.305 | 0.000 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0.305 |
| 11 | नवलसिंह पिता नुरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 35/1/2 | 0.282 | 0.000 | 0.282 | 0.054 | 0.000 | 0.054 |
| 12 | दिनेश पिता नवलसिंह जाति भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 36/1 & 36/2 | 0.428 | 0.000 | 0.428 | 0.046 | 0.000 | 0.046 |
| 13 | केकु पिता तेरसिंह धुलीबाई बैवा तेरसिंह जाति भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 37/1/1 | 2.528 | 0.000 | 2.528 | 1.239 | 0.000 | 1.239 |
| 14 | रमबाई पति नवलसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 37/1/2 | 2.626 | 0.000 | 2.626 | 0.971 | 0.000 | 0.971 |
| 15 | सजुबाई पति शेरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 37/1/3 | 1.138 | 0.000 | 1.138 | 0.118 | 0.000 | 0.118 |
| | योग:- | | 10.357 | 7.932 | 18.289 | 4.610 | 2.596 | 7.206 |

क्रमांक 27-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करचट तहसील कुशी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

ग्राम - करचट

तहसील - कुशी

| क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर) | | |
|------|---|---|--------------|--------------|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1 | छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु | 7.751 | 0.000 | 7.751 |
| | योग | 7.751 | 0.000 | 7.751 |

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करचट की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - करचट

तहसील - कुशी

| स.क्र. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम | भूमि का रकबा | | | | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर) | | |
|--------|--|--------------|--------|---------|----------|---|---------|----------|
| | | खसरा क्र. | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | दिनेश अलिप नाका कालीबाई गुडीबाई हतरी शीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 64/2 | 1.045 | 0.000 | 1.045 | 0.081 | 0.000 | 0.081 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2 | अक्रम पिता शंकर, अंगरी पति अक्रम जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 66 | 0.679 | 0.000 | 0.679 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
| 3 | मलू केरमसिंह गंगा पिता मोतिसिंह व रमलू बैवा मोतिसिंह अकरम राकेश प्रकाश दिलू केन्द्रा रमबाई संभुबाई पिता शंकर व राजली बैवा शंकर व अंतरबाई पिता दुलजी जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 70 | 1.724 | 0.000 | 1.724 | 0.069 | 0.000 | 0.069 |
| 4 | रतन बातम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 91/2 | 1.150 | 0.000 | 1.150 | 0.620 | 0.000 | 0.620 |
| 5 | दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 91/1 | 1.504 | 0.000 | 1.504 | 0.994 | 0.000 | 0.994 |
| 6 | दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 92 | 0.115 | 0.000 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 0.115 |
| 7 | दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 93 | 0.178 | 0.000 | 0.178 | 0.178 | 0.000 | 0.178 |
| 8 | दितल्या पिता हटल्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 96 | 0.648 | 0.000 | 0.648 | 0.156 | 0.000 | 0.156 |
| 9 | शंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 107 | 0.084 | 0.000 | 0.084 | 0.044 | 0.000 | 0.044 |
| 10 | केरु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 108/2/1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.203 | 0.000 | 0.203 |
| 11 | शंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 108/2/2 | 0.460 | 0.000 | 0.460 | 0.249 | 0.000 | 0.249 |
| 12 | रतन बातम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 109/2/1 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.099 | 0.000 | 0.099 |
| 13 | दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 109/2/2 | 0.538 | 0.000 | 0.538 | 0.380 | 0.000 | 0.380 |
| 14 | भावसिंह पिता बदनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 119/1 | 0.627 | 0.000 | 0.627 | 0.084 | 0.000 | 0.084 |
| 15 | सिगदार पिता नानसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 120 | 0.439 | 0.000 | 0.439 | 0.150 | 0.000 | 0.150 |
| 16 | प्रताप पिता सेकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 121 | 0.899 | 0.000 | 0.899 | 0.408 | 0.000 | 0.408 |
| 17 | पेरमसिंह पिता ठाकुरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 136 | 1.348 | 0.000 | 1.348 | 0.129 | 0.000 | 0.129 |
| 18 | किशन पिता ठुटिया व इन्दरसिंह पिता बडु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 139/1 | 0.209 | 0.000 | 0.209 | 0.045 | 0.000 | 0.045 |
| 19 | शंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 141/2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.660 | 0.000 | 0.660 |
| 20 | समरु पिता नाहला व मुनेश पिता समरु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 143/1 | 1.030 | 0.000 | 1.030 | 0.629 | 0.000 | 0.629 |
| 21 | धूमजी पिता नाहला व म्यानसिंह मेडासिंह पिता धूमजी जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 143/2 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.237 | 0.000 | 0.237 |
| 22 | प्रताप पिता सेकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 144 | 1.035 | 0.000 | 1.035 | 0.431 | 0.000 | 0.431 |
| 23 | आलू कमली गमती पिता घीसु रुखमाबाई बैवा घीसु व पारु छिबा ना.बा. पिता मडेसिंह व शेलबाई बैवा मडेसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 145 | 0.690 | 0.000 | 0.690 | 0.267 | 0.000 | 0.267 |
| 24 | राकेश जगदीश रमेश ना.बा. पिता शिवसिंह अ. पा.कर्त्त भाता अनबाई व अनबाई बैवा शिवसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 146/1/1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.246 | 0.000 | 0.246 |
| 25 | नवलसिंह पिता मालसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 146/1/3 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.418 | 0.000 | 0.418 |
| 26 | आपसिंह पिता लालसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 146/2/1 | 1.209 | 0.000 | 1.209 | 0.260 | 0.000 | 0.260 |
| 27 | रतन सुमल हन्दिबाई सहबाई शंकरबाई रेशम पिता रजु व पूनाबाई बैवा रजु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी | 157 | 2.268 | 0.000 | 2.268 | 0.170 | 0.000 | 0.170 |
| | योग:- | | 21.979 | 0.000 | 21.979 | 7.751 | 0.000 | 7.751 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 36-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-13

डिण्डौरी, दिनांक 14 जनवरी 2020

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-शहपुरा प.ह.न. 44 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|---------|--|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| शहपुरा | 1 | देवीप्रसाद पिता हरीलाल | 857/5 | 0.94 | 0.15 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | 2 | कमलाबाई देवा मिठ्ठीलाल, बसोरी पिता मिठ्ठीलाल, भागवती, गोमती पुत्री सोमती, वर्षा पुत्री मिठ्ठीलाल | 682/4 | 0.40 | 0.07 | |
| | 3 | चंदोबाई पति नान्हू | 186 | 1.86 | 0.06 | |
| | 4 | शिवप्रसाद, महंतलाल, दासीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद | 749/1 | 1.61 | 0.15 | |
| | | योग:- कृषक 04 | | 4.81 | 0.43 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 37-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-संग्रामपुर रैयत प.ह.न. 31 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-----------------|---------|--------------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| संग्रामपुर रैयत | 1 | चमनी पति सेमलाल | 122/1 | 0.71 | 0.02 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | 2 | पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल | 98/2 | 0.23 | 0.04 | |
| | 3 | केहरसिंह पिता मोतीलाल | 98/1 | 0.23 | 0.04 | |
| | 4 | कतकू पिता भल्लू | 101/1 | 0.29 | 0.04 | |
| | 5 | रोहणीप्रसाद पिता खुशीलाल | 29/2 | 0.41 | 0.03 | |
| | | योग:- कृषक 05 | | 1.87 | 0.17 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 38-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-17

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बांकी प.ह.न. 42 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|---------|---------------------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बांकी | 1 | दुर्गाप्रसाद पिता रामकुमार साहू | 949/2 | 0.05 | 0.03 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | | योग:- कृषक 01 | | 0.05 | 0.03 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 39-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-16

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-भीमपार प.ह.न. 25 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|---------|---------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| भीमपार | 1 | लक्ष्मीबाई पति बेबू | 845/1 | 0.41 | 0.02 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | | | 845/2 | 0.41 | 0.03 | |
| | | | 845/3 | 0.41 | 0.03 | |
| | | योग:- कृषक 01 | | 1.23 | 0.08 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 40-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-15

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-कारीगढ़हरी रैयत प.ह.न. 61 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-----------------|---------|---------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कारीगढ़हरी रैयत | 1 | कमलसिंह पिता रमाधीन | 50 | 2.14 | 0.15 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| योग:- कृषक 01 | | | | 2.14 | 0.15 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 41-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-15

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-रनगांव प.ह.न. 43 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|--|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रनगांव | 1 | चमरा पिता पुसौवा | 394 | 0.13 | 0.06 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | 2 | चिंता पिता आशाराम, सुशीलाबाई पति माखन विनोद, प्रमोद, रामकुमार, विद्याबाई पिता माखन लाल मिश्रीलाल, गोपाल, राधेप्रसाद व. आशाराम सुम्मीबाई लीलाबाई पु. आशाराम | 56/1 | 2.80 | 0.05 | |
| योग:- कृषक 02 | | | | 2.93 | 0.11 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 42-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-10

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-डुंडीसरई प.ह.न. 61 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-----------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| डुंडीसरई | 1 | कलाबाई पिता हरीप्रसाद | 236/2 | 0.05 | 0.03 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| योग:- कृषक 01 | | | | 0.05 | 0.03 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 43-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-12

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- बरौदा प.ह.न. 27 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|--|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बरौदा | 1 | श्यामा बाई पुत्री सुधूलाल | 208 | 1.13 | 0.20 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | 2 | योगेश्वर पिता फूलसाय | 226/7 | 0.34 | 0.02 | |
| | 3 | कमलिया ध.प.स्व. श्री छोटेला.तेलीलाल सियाराम मलाबाई, पन्नीबाई, नन्नीबाई, ननकीबाई, सतनबाई, मुनैयाबाई पिता छोटेला | 284 | 0.59 | 0.15 | |
| | 4 | देवदत्त, लवकुश पिता डुमारी | 364/2 | 0.20 | 0.08 | |
| योग:- कृषक 04 | | | | 2.26 | 0.45 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीओं को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 44-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बांकी प.ह.न. 42 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|---------|-------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बांकी | 1 | रमेश पिता मनीराम | 1169 | 0.15 | 0.06 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | 2 | संतराम पिता रोशमन | 949/1 | 1.68 | 0.02 | |
| | | योग:- कृषक 02 | | 1.83 | 0.08 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 45-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-20

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम - समनपुरा माल प.ह.न. 47 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|---------|-----------------------|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| समनपुरा माल | 1 | खुन्नीबाई पिता डुमारी | 200/1 | 0.53 | 0.08 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | | योग:- कृषक 01 | | 0.53 | 0.08 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 47-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-21

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार मेहदवानी विकासखण्ड में स्थित दनदना जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम भोडासाज माल प.ह.नं. 112 रा.नि.म. राई विकासखण्ड मेहदवानी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| स.क्र. | ग्राम का नाम | कृषका का नाम व पिता का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा हे. में. | वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में. | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------|--|--|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ग्राम भोडासाज माल प.ह.नं. 112 रा.नि.म. राई | रीनू रामसाय, सोमनाथ, जमुना, रवनी, सोमवती, सोमी पिता दुरुप सिंह | 360/1 | 0.470 | 0.470 | दनदना जलाशय के शीर्ष कार्य का पूरक प्रस्ताव |
| कुल योग | | | | | 0.470 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित के संबंध में दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 46-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-शक्तिभगदू रैयत प.ह.न. 47 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

| ग्राम का नाम | स. क्र. | खातेदार का नाम | सर्वे नंबर | कुल रकवा | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------------|---------|---|------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| शक्तिभगदू रैयत | 1 | कन्धी पिता जेटू सरमन रामकुमार पिता लुहरमेन सम्मो पु. लुहरमेन | 96 | 2.76 | 0.03 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| | 2 | फूलसिंह पिता तितरू | 97/3 | 1.93 | 0.02 | |
| | 3 | भुखलाल लखन गीराबाई कुन्दकली पिता डुमारी सुखमत पिता डुमारी | 98/1 | 1.20 | 0.13 | |
| | 4 | कृष्णबाई पिता चमरा | 98/2 | 1.20 | 0.14 | |
| | 5 | अर्जुन कुमार फगू पिता भदई मुन्नी पुत्र | 99 | 4.88 | 0.02 | |
| | 6 | छोटीबाई पति केहर सुमरन अंगद पिता केहर कुसुम मुंगिया बाई पुत्री केहर पिता चैतू चैतीबाई पति विजेया तीरथ पिता विजेया विश्नु पिता दशोरी शिवराज गुलबसिंह पिता भूता बलसिंह पंचम श्यामसिंह पिता तिवारी | 102 | 0.68 | 0.13 | |
| | 7 | शाहमेन पिता कुंवरसेन | 103 | 1.95 | 0.13 | |
| | 8 | रत्तूसिंह पिता मुलैया कतियाबाई पति बाबूलाल आशाराम शिवकुमार चम्मनबाई पिता बाबूलाल रूपसिंह पिता चूरामन सुचामत पति छोटेलाल कोदूलाल, धनीराम, खेतू पिता छोटेलाल | 104 | 0.85 | 0.03 | |
| | 9 | मीराबाई पति सम्हर संतोष संतकुमार पिता सम्हर | 105 | 2.00 | 0.03 | |
| योग:- कृषक 09 | | | | 17.45 | 0.66 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 48-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-28

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कारीगढहरी माल प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकवा हे. में | वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में | सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन |
|------|---------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | कारीगढहरी माल | तीरथ सिंह पिता हेमसिंह | 259 | 1.00 | 0.09 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु |
| 02 | | श्याम बाई पिता सखुवा | 452/7 456/5 | 0.20 0.40 | 0.05 0.15 | |
| | | योग - | | 1.60 | 0.29 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी।

क्रमांक 49-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित सारसडोली जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम सारसडोली प.ह.न 22 रा.नि.म. कोहानी देवरी विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की आपसी सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है।

| स. क. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नं. | कुल रकवा हे. में | पूर्व में अर्जित रकवा | नये प्रस्ताव अनुसार अर्जित रकवा | कुल अर्जित रकवा(6+7) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|--------------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सारसडोली | हल्ली सिंह पिता सहजू | 490 | 2.78 हे. | 0.58 हे. | 0.18 हे. | 0.76 हे. | सारसडोली जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु |

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15(पन्द्रह) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे /आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 50-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर विकासखण्ड में स्थित बरगी जलाशय के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बरगी रैयत प.ह.नं. 147 रा.नि.म. बम्हनी विकासखण्ड समनापुर जिला डिण्डीरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| स.क्र. | ग्राम का नाम | कृषका का नाम व पिता का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा हे. में. | वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|--|---|------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ग्राम बरगी रैयत प.ह.नं. 147 रा. नि.म. बम्हनी | रामकुमार / सुमरा बुधराम / सुमरा मंगल, बालरती पिता धनुवा जगनी, विजयकुमार, अमरबती / शेर सिंह | 196 | 1.150 | 1.150 | बरगी जलाशय के शीर्ष कार्य का पूरक प्रस्ताव |
| | | कुल योग | | | 1.150 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित के संबंध में दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/अपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्रमांक 36...../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
(ख) तहसील - बहरी
(ग) नगर/ग्राम - कुचवाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.376 हे.

| स.क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1293/1 ✓ | 0.030 ✓ | रामाश्रय पिता महादेव 1/4 विन्धेश्वरी गिता महादेव 1/4 कौशल प्रसाद रामकिशोर वेनीमाधव पिता मंगल वानी 1/2 |
| 2. | 1294 ✓ | 0.006 ✓ | सुदर्शन पिता रामा बानी |
| 3. | 1236 ✓ | 0.058 ✓ | सुदर्शन पिता रामा बानी |
| 4. | 1284/1524 ✓ | 0.040 ✓ | बसंती पति सुदर्शन वानी |
| 5. | 1284/1 ✓ | 0.040 ✓ | इन्द्रकुमार पिता लक्ष्मिन खसरा 1421 के साथ 0.660 में 0.165 पतली पुत्री चिन्तामणि 0.660 में 0.165 समयलाल जग्यमान सुख्खी पानकली पिता लहरी मोहन सौखीलाल गुलबिया पिता पियारे नन्दलाल लल्लू राजेन्द्र पिता जगन्नाथ 1/4 रामनरेश रामसुदर्शन राघो किडुनचंद रामकली छोटवा मुनिया बिट्टी पिता महादेव |
| 6. | 1284/2 ✓ | 0.040 ✓ | नारायण दास पिता कुन्जबिहारी गुप्ता |

| | | | |
|-------|-----------|------------|--|
| 7. | 1246 ✓ | 0.075 ✓ | गुलाब प्रसाद राजा राजलाल गोपी पिता बनारस मुश्यामवती वेवा बनारस पिता विशेषर मु. दशोद्री वेवा काशी बाबूलाल हरिहर पिता काशी प्रसाद मु. शकुन्तला वेवा केशरीकंचन अर्चना पूनम सोनू मानसी पिता केशरी 1/2 जमुना सरनो अवध पिता गजाधर 1/2 |
| 8. | 1238 ✓ | 0.067 ✓ | गुलाब प्रसाद राजा राजलाल गोपी पिता बनारस मुश्यामवती वेवा बनारस पिता विशेषर मु. दशोद्री वेवा काशी बाबूलाल हरिहर पिता काशी प्रसाद मु. शकुन्तला वेवा केशरीकंचन अर्चना पूनम सोनू मानसी पिता केशरी 1/2 जमुना सरनो अवध पिता गजाधर 1/2 |
| 9. | 1229 ✓ | 0.088 ✓ | जग्यभान पिता विश्राम बानी |
| 10. | 1198 ✓ | 0.044 ✓ | बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी |
| 11. | 1196/1 ✓ | 0.120 ✓ | बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी |
| 12. | 1196/2 ✓ | | लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी |
| 13. | 1220/1 ✓ | 0.221 ✓ | बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी |
| 14. | 1220/2 ✓ | | लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी |
| 15. | 1219 ✓ | 0.027 ✓ | मु.सन्तुआ वेवा शिवनाथ महेन्द्र राजेन्द्र तीरथ बाबा उर्मिला शोमयू |
| 16. | 1204/1 ✓ | 0.030 ✓ | बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी |
| 17. | 1204/2 ✓ | | लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी |
| 18. | 1167/1 ✓ | 0.013 ✓ | ददन पिता अवध बानी |
| 19. | 1166 ✓ | 0.042 ✓ | जगदीश पिता अवध बानी |
| 20. | 745/1 ✓ | 0.015 ✓ | जगदीश पिता अवध बानी |
| 21. | 745/2 ✓ | | ददन पिता अवध बानी |
| 22. | 746 ✓ | 0.024 ✓ | कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव |
| 23. | 478 ✓ | 0.034 ✓ | कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव |
| 24. | 741 ✓ | 0.045 ✓ | कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव |
| 25. | 750 ✓ | 0.002 ✓ | लखपति पिता माधौ बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद 1/4 जवाहर लाल ददन प्रसाद जगदीश प्रसाद उपेन्द्र प्रसाद पिता अवध 1/2 सुदर्शन पिता रामा मु. गनेसिया वेवा महावीर कौशल इन्द्रजीत श्रीनिवास सियावती विद्यावती पिता महावीर 1/8 जग्यभान बुद्धसेन जग्यसेन सोनिया कमलेशिया धनोसिया पिता विश्राम 1/8 |
| 26. | 747 ✓ | 0.020 ✓ | शोभनाथ रघुवर पिता दुलुआ अजोरवा पिता अगतुआ अहिर |
| 27. | 740 ✓ | 0.005 ✓ | शोभनाथ रघुवर पिता दुलुआ अजोरवा पिता अगतुआ अहिर |
| 28. | 749 ✓ | 0.020 ✓ | मु.वेवा बुलसुआ पति अग्रनाथ केशव प्रसाद रामसजीवन पिता अग्रनाथ मु. सोनिया पति चन्द्रप्रताप पुष्पेन्द्र पिता चन्द्रप्रताप शिवकुमार सतीश चन्द्र विष्णु प्रसाद नारेन्द्र प्रसाद शेष प्रताप पिता सवाईलाल बगै. |
| 29. | 669 ✓ | 0.045 ✓ | मु.वेवा बुलसुआ पति अग्रनाथ केशव प्रसाद रामसजीवन पिता अग्रनाथ मु. सोनिया पति चन्द्रप्रताप पुष्पेन्द्र पिता चन्द्रप्रताप शिवकुमार सतीश चन्द्र विष्णु प्रसाद नारेन्द्र प्रसाद शेष प्रताप पिता सवाईलाल बगै. |
| 30. | 724/1/1 ✓ | 0.150 ✓ | ददन पिता अवध बानी |
| 31. | 724/1/2 ✓ | | रामभजन पिता पन्नालाल गुप्ता बानी |
| 32. | 725 ✓ | 0.030 ✓ | ददन पिता अवध बानी |
| 33. | 713/1 ✓ | 0.010 ✓ | जवाहर पिता अवध बानी |
| 34. | 713/2 ✓ | | जगदीश पिता अवध बानी |
| 35. | 696 ✓ | 0.035 ✓ | जग्यभान ठाकुरदीन राजारजभान पिता रघुनाथ दशोद्री समुदी इन्द्रवसुआ हरवसुआ चन्द्रवसुआ पिता रघुनाथ 1/2 लखपति तनय माधौ बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद 1/4 जवाहर लाल ददन प्रसाद जगदीश उपेन्द्र प्रसाद पिता अवध 1/4 |
| Total | 35 किता ✓ | 1.376 Ha ✓ | |

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 3 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 38/भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - कुडैनिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.803 हे.

| स.क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 229 ✓ | 0.120 ✓ | रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स |
| 2. | 230 | 0.035 | रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स |
| 3. | 241 ✓ | 0.071 ✓ | रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स |
| 4. | 243 ✓ | 0.003 | हिन्छलाल पिता रामनिहोर राम |
| 5. | 242 ✓ | 0.037 | रामानुज पिता मदन सोनी |
| 6. | 320 | 0.034 ✓ | हिन्छलाल पिता रामनिहोर राम |
| 7. | 408 ✓ | 0.001 ✓ | मोतीलाल यज्ञसेन पिता अंगद श्रीनिवास पिता शिवप्रसाद ललती पिता शोभा मुडहा |
| 8. | 407 ✓ | 0.017 ✓ | मोतीलाल यज्ञसेन पिता अंगद श्रीनिवास पिता शिवप्रसाद ललती पिता शोभा मुडहा नंदलाल भरतलाल संतलाल अनंतलाल परमेश चुटटी सरोज मीना |
| 9. | 406 ✓ | 0.065 ✓ | मु. छोटी वेवा चित्रसेन रामप्रसाद पिता चित्रसेन मु. बाबुल राजकली पति मुन्नी लाल अजय कुमार पिता मुन्नी लाल राजबहादुर पिता हीरालाल |
| 10. | 411 ✓ | 0.021 ✓ | मुरामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्द्रवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी |
| 11. | 446 ✓ | 0.020 ✓ | मुरामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्द्रवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी |
| 12. | 447 ✓ | 0.012 ✓ | मुरामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्द्रवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी |
| 13. | 450 ✓ | 0.044 ✓ | मुरामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्द्रवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|---|
| | | | राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी |
| 14. | 451 ✓ | 0.091 ✓ | मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्द्रवती सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी |
| 15. | 452 ✓ | 0.035 ✓ | इन्द्रपति जग्यभान जग्यलाल पिता विशेषर वेवा गुलाबवती पति हुब्बलाल रामबहोर गोविन्द अशोक पति हुब्बलाल |
| 16. | 404 ✓ | 0.037 ✓ | बुद्धसेन पिता रामशरण राम |
| 17. | 454 ✓ | 0.002 ✓ | नंदलाल भरतलाल संतलाल अनंतलाल परमेश चुट्टी सरोज मीना |
| 18. | 495 ✓ | 0.111 ✓ | राजमन पिता सुकदेव रामकृपाल पिता ज्ञानेश्वर |
| 19. | 494 ✓ | 0.047 ✓ | राजमन पिता सुकदेव रामकृपाल पिता ज्ञानेश्वर |
| Total | 19 किता ✓ | 0.803 Ha. ✓ | |

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 40...../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - बेलहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 2.576 हे.

| स.क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 18 ✓ | 0.120 ✓ | मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम |
| 2. | 11 ✓ | 0.015 ✓ | मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम |
| 3. | 43 ✓ | 0.004 ✓ | मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम |
| 4. | 44 | 0.050 | मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम |
| 5. | 32 ✓ | 0.160 | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 6. | 33 | 0.040 | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 7. | 35 ✓ | 0.072 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 8. | 37 ✓ | 0.064 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 9. | 38 ✓ | 0.001 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 10. | 39 ✓ | 0.072 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 11. | 40 ✓ | 0.015 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 12. | 77 ✓ | 0.036 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 13. | 78 ✓ | 0.036 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 14. | 85 | 0.030 ✓ | अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल |
| 15. | 42 | 0.070 | हीरामणि पिता महाबली राम ब्रा. |
| 16. | 76 ✓ | 0.115 | शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह |
| 17. | 101 | 0.070 ✓ | शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह |
| 18. | 102 | 0.050 ✓ | शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|---|
| 19. | 106 ✓ | 0.028 ✓ | शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह |
| 20. | 108 ✓ | 0.116 ✓ | शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह |
| 21. | 114 ✓ | 0.088 ✓ | शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह |
| 22. | 115 ✓ | 0.002 ✓ | सोनइया पिता जोखन कोल |
| 23. | 116 ✓ | 0.032 ✓ | छोटवा पिता पंचम कोल |
| 24. | 119/1 ✓ | 0.080 ✓ | शशिभूषण सिंह हरिकमल सिंह पिता महेश प्रताप सिंह मु. सीता देवी वेवा महेश प्रताप सिंह |
| 25. | 119/2 ✓ | 0.120 ✓ | अमित कुमार सिंह अजय कुमार सिंह पिता हरिकमल सिंह |
| 26. | 133/1 ✓ | 0.232 ✓ | मणिकंठ पिता श्रीराम |
| 27. | 133/2 | | रमाशंकर पिता रामभद्र |
| 28. | 133/3 | | संतोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा |
| 29. | 134 ✓ | 0.044 ✓ | सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा |
| 30. | 135/1 ✓ | 0.040 ✓ | हीरामणि पिता श्रीराम मिश्रा |
| 31. | 135/2 ✓ | | सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा |
| 32. | 136/1 ✓ | 0.210 ✓ | रमाशंकर पिता रामभद्र |
| 33. | 136/2 ✓ | | सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा |
| 34. | 137 ✓ | 0.014 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह |
| 35. | 1113 ✓ | 0.040 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह |
| 36. | 1114 ✓ | 0.015 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह |
| 37. | 1127 ✓ | 0.435 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह |
| 38. | 1145 ✓ | 0.060 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह |
| Total | 38 किता ✓ | 2.576 Ha. ✓ | |

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 42/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | बहरी |
| (ग) नगर/ग्राम | - | मऊ |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकबा 1.672 हे. |

| स.क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 91 ✓ | 0.100 ✓ | बुद्धसेन संजय पप्पू गुडडी पिता रामजीत शीला वेवा मुद्रिका मोना पिता मुद्रिका |
| 2. | 60 ✓ | 0.075 ✓ | बूटी देवी वेवा ललन राम विश्वनाथ मूलसजीवन संतोष कुमार बालमुकुन्द कृष्णकुमार पिता ललनराम |
| 3. | 89 ✓ | 0.075 ✓ | मु.सन्तोषिया वेवा विशाले हि-छलाल बाबूलाल रामदयाल पिता विशाले |
| 4. | 88 ✓ | 0.136 ✓ | मेवालाल मथुरा गोकुल जग्यसेन पिता रामावतार |
| 5. | 64 ✓ | 0.040 ✓ | अवधेश कुमार पिता महेश सोनी |
| 6. | 66 ✓ | 0.090 ✓ | रामसजीवन पिता देवता प्रसाद |
| 7. | 223 ✓ | 0.008 ✓ | रामसजीवन पिता देवता प्रसाद सेन |
| 8. | 224 ✓ | 0.055 ✓ | रामसजीवन पिता देवता प्रसाद सेन |
| 9. | 67 ✓ | 0.016 ✓ | कंदार श्यामबिहारी पिता मुरारी लाल सोनी |
| 10. | 68 ✓ | 0.005 ✓ | मु.पार्वती देवी पति महेश सोनी मेवा सोनी सन्तोष पिता महेश सोनी |
| 11. | 69 ✓ | 0.024 ✓ | मु.पार्वती देवी पति महेश सोनी मेवा सोनी सन्तोष पिता महेश सोनी |
| 12. | 72/1 ✓ | 0.070 ✓ | मु. शशी वेवा शोभनाथ पंकज कुमार पिता शोभनाथ |
| 13. | 72/2 ✓ | 0.040 ✓ | जगदीश प्रसाद रामप्रसाद मिथिला प्रसाद हेमराज |
| 14. | 74 ✓ | 0.085 ✓ | श्रीभान अनिल अमित रंगनाथ पिता राममिलन 1/2 रामेश्वर पिता वंशपति 1/4 रामलाल पिता झल्लू नाई 1/4 |
| 15. | 75 ✓ | 0.018 ✓ | मु.रामकली वेवा भिदुआ 1/3 मिल्ला जमुना पिता अडवंगा 1/3 लगडा सुग्रीव पिता छददारी मु. वेवा फूलकुमारी पति बृजमोहन गोविन्द दददे पिता बृजमोहन 1/3 |
| 16. | 169 ✓ | 0.002 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 17. | 170 ✓ | 0.075 ✓ | राजराखन सुगोलाल पिता रामेश्वर |
| 18. | 171 ✓ | 0.032 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 19. | 268 ✓ | 0.040 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 20. | 269 ✓ | 0.070 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 21. | 262 ✓ | 0.050 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 22. | 196 ✓ | 0.010 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 23. | 197/2 ✓ | 0.060 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 24. | 198 ✓ | 0.045 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम |
| 25. | 263 ✓ | 0.030 ✓ | सुखसागर पिता गुलाबराम मु. रामरती वेवा गुलाबराम |
| 26. | 270 ✓ | 0.002 ✓ | गंगा प्रसाद कीर्तन प्रसाद पवन कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद |
| 27. | 199 ✓ | 0.036 ✓ | रामसागर तनय गुलाब राम शुक्ला |
| 28. | 195 ✓ | 0.010 ✓ | रामसागर तनय गुलाब राम शुक्ला |
| 29. | 201 ✓ | 0.028 ✓ | रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला |
| 30. | 202 ✓ | 0.008 ✓ | रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला |
| 31. | 227 ✓ | 0.057 ✓ | रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला |
| 32. | 229 ✓ | 0.035 ✓ | रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला |
| 33. | 226 ✓ | 0.015 ✓ | बद्री प्रसाद रामकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरजिया वेवा राममणि |
| 34. | 228 ✓ | 0.070 ✓ | बद्री प्रसाद रामकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरजिया वेवा राममणि |
| 35. | 222 ✓ | 0.048 ✓ | उर्मिला पत्नी रामसजीवन |
| 36. | 211 ✓ | 0.027 ✓ | मु. सोनउ वेवा रामप्रसाद |
| 37. | 212 ✓ | 0.085 ✓ | रामबहोर पिता सत्यनारायण |
| Total | 37 किता ✓ | 1.672 Ha ✓ | |

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक...45.../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - खैरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.289 हे.

| स.क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 315 ✓ | 0.001 ✓ | मुरामरती देवी वेवा परमेश्वराम चन्द्रशेखर तरुण कुमार पिता परमेश्वर राम बसंतेश्वराम पिता रामलाल गुजेश्वरी प्रसाद ताकेश्वर प्रसाद द्वारिका प्रसाद हर्ष लाल पिता जानकी राम मु. जानकी वेवा सियाशरण अज्ञान जागेश्वर प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता ववनराम पा.मा हिन्टरजुआ वेवा ववनराम |
| 2. | 321 ✓ | 0.002 | बैजनाथ पिता रामबहोर 1/2 भगवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज लालमणि राम पिता दर्शनराम 1/2 |
| 3. | 319. | 0.072 | लालमणि राम पिता दर्शन राम ब्रा. |
| 4. | 344 ✓ | 0.044 ✓ | बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3 |
| 5. | 356 ✓ | 0.012 ✓ | बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3 |
| 6. | 353 ✓ | 0.060 ✓ | बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3 |
| 7. | 318 ✓ | 0.052 ✓ | देवानन्द तनय हीरामणि 2/3 छविराम पिता अवधराम 1/3 |
| 8. | 371 ✓ | 0.054 ✓ | ललन सिंह अमर बहादुर सिंह शाहदूल सिंह पिता फत्ते लाल सिंह मु. पार्वती पति फत्ते लाल सिंह |
| 9. | 398 ✓ | 0.061 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह |
| 10. | 406 ✓ | 0.010 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह |
| 11. | 405 ✓ | 0.042 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह |
| 12. | 408 ✓ | 0.040 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह |
| 13. | 394 ✓ | 0.050 ✓ | चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह |
| 14. | 397 ✓ | 0.001 ✓ | रामजियावन सिद्धिनाथ रामसजीवन सुग्रीव प्रसाद पिता देवतादीन नाई 1/3 रामगोपाल रामगरीब रामचन्द्र पिता तिलंगा नाई 1/3 जमालुददीन |

| | | | |
|-------|-------------|-------------|---|
| | | | तनय फड़जान वक्स 1/3 |
| 15. | 422 ✓ | 0.008 ✓ | सावितरजा हामिदरजा उजीरवक्स समीर वक्स लाल मो. पिता रहमत मु. सखिनिया वेवा रहमत वक्स उजीर वक्स अब्दुल वक्स छोटा वक्स नजीर वक्स नसीर वक्स पिता अकबर |
| 16. | 484/2 ✓ | 0.025 ✓ | मो. मुस्ताक पिता निजामुद्दीन |
| 17. | 511 ✓ | 0.033 ✓ | मो. मुस्ताक अली पिता नजाबुद्दीन |
| 18. | 485 ✓ | 0.010 ✓ | मो. मुस्ताक अली पिता नजाबुद्दीन |
| 19. | 486 ✓ | 0.065 ✓ | कुसुम कली पत्नी भैयालाल शकुन्तला पत्नी राजराखन शकुन्तला पत्नी आनन्द मिश्रा |
| 20. | 488 ✓ | 0.074 ✓ | पारसनाथ दूधनाथ रंगनाथ पिता दीनबन्धु मु. मोतिया वेवा दीनबन्धु |
| 21. | 495 ✓ | 0.013 ✓ | उमेश ललऊ पिता अवधलाल मु. वीणा वेवा बबू माली लल्लू राजा पिता रामाऔतार शिवबहोर पिता विन्द्रा मु. पतिया वेवा बिन्द्रा छेदी मथुरा पिता छोटकैला उमेश कुमार पिता अवध प्रसाद मु. रजनी वेवा राजेश कुमार कु. रंजना कु. वंदना पुत्री राजेश कुमार संरक्षिका माता मु. रजनी वेवा राजेश कुमार |
| 22. | 492 ✓ | 0.046 ✓ | उमेश ललऊ पिता अवधलाल मु. वीणा वेवा बबू माली लल्लू राजा पिता रामाऔतार शिवबहोर पिता विन्द्रा मु. पतिया वेवा बिन्द्रा छेदी मथुरा पिता छोटकैला उमेश कुमार पिता अवध प्रसाद मु. रजनी वेवा राजेश कुमार कु. रंजना कु. वंदना पुत्री राजेश कुमार संरक्षिका माता मु. रजनी वेवा राजेश कुमार |
| 23. | 493 ✓ | 0.123 ✓ | भगवत निचकवा इन्द्रपतिया दददी पिता जागेश्वर छोटकैला पिता गप्पू |
| 24. | 584 ✓ | 0.008 ✓ | विद्याकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता कैलाश राम मु. फूलमती वेवा कैलाश राम मोतीराम ददोल प्रसाद रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम |
| 25. | 583 ✓ | 0.086 ✓ | रामकुमार कन्हैयालाल पिता सुदामा मु. चौरसिया वेवा सुदामा बैजनाथ पिता शिवधारी महेश सिद्धिमुनी चन्द्रिका रामायण पिता राजमणि सुरेश राजेश पिता संतकुमार |
| 26. | 585 ✓ | 0.030 ✓ | देवानन्द पिता हीरामणि |
| 27. | 580/1 ✓ | 0.053 ✓ | बबन राम रामचन्द्र पिता रामरतनराम रामनेवाज राम बबनराम रामचन्द्र पिता रामरतन राम 1/2 बृजबिहारी कैलाश राम मोतीराम रामभुवन ददोल प्रसाद पिता शिवरतन राम मु. पार्वती वेवा शिवरतन राम 1/2 |
| 28. | 580/2 ✓ | 0.054 ✓ | भरतलाल भीमसेन पिता रामनेवाज |
| 29. | 410 ✓ | 0.020 ✓ | कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2 |
| 30. | 413 ✓ | 0.020 ✓ | कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2 |
| 31. | 414 ✓ | 0.030 ✓ | कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2 |
| 32. | 415 ✓ | 0.020 ✓ | कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2 |
| 33. | 417 ✓ | 0.020 ✓ | कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2 |
| 34. | 418 ✓ | 0.050 ✓ | कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2 |
| Total | 34 कित्ता ✓ | 1.289 Ha. ✓ | |

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 47/भू-अर्जन/2020, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - झुमरिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 1.323 हे.

| स.क्र. | खसरा नम्बर | रकबा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 127/Y | 0.120 | यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह |
| 2 | 127/2 | | बसन्तराज सिंह पिता कालिका सिंह |
| 3 | 118 | 0.056 | बसन्तराज सिंह पिता कालिका सिंह गहरवार |
| 4 | 119/3 | 0.050 | यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह |
| 5 | 120 | 0.025 | यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह |
| 6 | 199 | 0.025 | अवधराज सिंह पिता गुलाब सिंह गहरवार |
| 7 | 256 | 0.170 | समशेर बहादुर सिंह पिता बीर बहादुर सिंह गहरवार मु.सुधा सिंह वेवा राजेन्द्र प्रताप सिंह प्रदीप सिंह पिता राजेन्द्र प्रताप सिंह गहरवार |
| 8 | 276/2 | 0.240 | गुलाब सिंह पिता केमलीराम ब्रा. |
| 9 | 28/1 | 0.020 | गुलाब सिंह पिता केमलीराम ब्रा. |
| 10 | 276/3 | 0.150 | चन्द्रप्रताप अंजनी कुमार पिता ज्ञानपतिराम सिरमनिया वेवा ज्ञानपति राम ब्रा. |
| 11 | 198/2/2 | 0.016 | बाबूलाल सिंह पिता गुलाब सिंह गहरवार |
| 12 | 27/7 | 0.110 | राजेन्द्र प्रसाद पिता बृहस्पतिराम |
| 13 | 117 | 0.052 | दलवीर सभाजीत प्रभाकर बृजनायक उर्मिला विनोद पिता लाल बिहारी |
| 14 | 23 | 0.030 | दलवीर सभाजीत प्रभाकर बृजनायक उर्मिला विनोद पिता लाल बिहारी |
| 15 | 14/2 | 0.090 | दशरथ सिंह दत्तक पुत्र श्रीपाल सिंह चौहान |
| 16 | 12 | 0.010 | दशरथ सिंह दत्तक पुत्र श्रीपाल सिंह चौहान |
| 17 | 119/2 | 0.035 | पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4 |
| 18 | 225 | 0.014 | पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4 |
| 19 | 226 | 0.060 | पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4 |
| 20 | 230 | 0.020 | पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा |

| | | | |
|-----|---------|-----------|--|
| | | | विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4 |
| 21 | 119/1 | 0.020 | पुष्पराज सिंह पिता अवधराज सिंह गहरवार |
| 22 | 10 | 0.010 | रामलला पिता रामजी राम ब्रा. |
| योग | 22 किता | 1.323 Ha. | |

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 419/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - पटेहरा कोठार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 2.673 हे।

| स.क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | भूमि स्वामी का नाम |
|--------|------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4/1 ✓ | 0.030 ✓ | हनुमान सिंह पिता राजपति सिंह चौहान |
| 2. | 4/2 ✓ | 0.036 ✓ | हनुमान सिंह पिता राजपति सिंह चौहान |
| 3. | 3 ✓ | 0.034 ✓ | महेश पिता बली गडेरी |
| 4. | 13 ✓ | 0.158 ✓ | विष्णु बहादुर सिंह पिता निरपति सिंह |
| 5. | 12/1 ✓ | 0.010 ✓ | विष्णु बहादुर सिंह पिता निरपति सिंह |
| 6. | 12/2 ✓ | 0.070 ✓ | प्रदीप सिंह पिता बलभद्र सिंह |
| 7. | 17 ✓ | 0.050 ✓ | सुशीला सिंह पति प्रदीप सिंह चौहान 38/69 शिवनाथ सुखमन्ती पिता मूड़ी दशरथ पिता वंशधारी छन्ना पिता बुद्धी सम्पति पिता भागीरथी सुकाली पिता पन्ची मु. मुनिया वेवा तेजइ महावीर श्यामलाल लालमनि पिता तेजइ कल्लू कशिया मुन्नी पुत्री तेजई नारायण पिता मुन्ना कोरी 31/69 |
| 8. | 19/1 ✓ | 0.010 ✓ | जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान |
| 9. | 21/3 ✓ | 0.025 ✓ | जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान |
| 10. | 20/1 ✓ | 0.040 ✓ | जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान |
| 11. | 20/2 ✓ | 0.020 ✓ | राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह |
| 12. | 19/2 ✓ | 0.050 ✓ | राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह |
| 13. | 22/1 ✓ | 0.010 ✓ | धनंजय सिंह पिता बलभद्र सिंह |
| 14. | 22/2 ✓ | 0.025 ✓ | सचिन सिंह पिता बलभद्र सिंह |
| 15. | 21/1 ✓ | 0.040 ✓ | राजराखन सिंह माखन सिंह जलसेन सिंह राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह |
| 16. | 21/2 ✓ | 0.025 ✓ | राजराखन सिंह पिता बलभद्र सिंह |
| 17. | 95 ✓ | 0.002 ✓ | अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह |
| 18. | 96 ✓ | 0.080 ✓ | अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह |
| 19. | 97 ✓ | 0.070 ✓ | अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह |
| 20. | 141 ✓ | 0.130 ✓ | अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह |
| 21. | 491 ✓ | 0.040 ✓ | अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह |
| 22. | 102 ✓ | 0.008 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|---|
| 23. | 110 ✓ | 0.170 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह |
| 24. | 109 ✓ | 0.060 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह |
| 25. | 113 ✓ | 0.020 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह |
| 26. | 114 ✓ | 0.020 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह |
| 27. | 121 ✓ | 0.090 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह |
| 28. | 122 ✓ | 0.005 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह |
| 29. | 123/1 ✓ | 0.020 ✓ | रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह |
| 30. | 123/2 ✓ | 0.170 ✓ | श्रीमती रामरती पति रामकुमार 5/6 श्रीमती रजवन्ती पति लालमणि 1/5 |
| 31. | 140 ✓ | 0.008 ✓ | दलवीर सिंह पिता लालबिहारी सिंह ना.ब.सं. पिता लालजी बिहारी चौहान |
| 32. | 137 ✓ | 0.080 ✓ | दलवीर सिंह पिता लालबिहारी सिंह ना.ब.सं. पिता लालजी बिहारी चौहान |
| 33. | 136 ✓ | 0.010 ✓ | हीरालाल सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार |
| 34. | 135 ✓ | 0.036 ✓ | हीरालाल सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार |
| 35. | 134 ✓ | 0.024 ✓ | रघुराज सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार |
| 36. | 191 ✓ | 0.096 ✓ | मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुधन सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह जैवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुधन सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह |
| 37. | 203 ✓ | 0.030 ✓ | मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुधन सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह जैवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुधन सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह |
| 38. | 445 ✓ | 0.095 ✓ | मु. छोटी वेवा छठिलाल सूर्यमान सूर्यदीन रामदीन हीरा पिता छठिलाल कोरी |
| 39. | 469/3 ✓ | 0.002 ✓ | मु. छोटी वेवा छठिलाल सूर्यमान सूर्यदीन रामदीन हीरा पिता छठिलाल कोरी |
| 40. | 446/1 ✓ | 0.010 ✓ | हृदयलाल पिता शिवपतिया हृदयलाल समुद्री मनगिरिया पिता शिवपतिया कोरी |
| 41. | 462/1 ✓ | 0.045 ✓ | सुखलाल पिता चैता कोरी |
| 42. | 465/1 ✓ | 0.010 ✓ | सुखलाल पिता चैता कोरी |
| 43. | 469/2 ✓ | 0.020 ✓ | सुखलाल पिता चैता कोरी |
| 44. | 464/1 ✓ | 0.064 ✓ | अनन्दे पिता सखई कोरी |
| 45. | 472 ✓ | 0.020 ✓ | अनन्दे पिता सखई कोरी |
| 46. | 469/1 ✓ | 0.065 ✓ | अनन्दे पिता सखई कोरी |
| 47. | 471 ✓ | 0.018 ✓ | शोभई महावीर पिता रजई कोरी |
| 48. | 470/1 ✓ | 0.025 ✓ | शिवानन्दन पिता सखई कोरी |
| 49. | 474/1 ✓ | 0.040 ✓ | गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 50. | 494 ✓ | 0.002 ✓ | गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 51. | 489/1 ✓ | 0.080 ✓ | गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 52. | 485 ✓ | 0.060 ✓ | गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 53. | 512 ✓ | 0.105 ✓ | गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 54. | 513 ✓ | 0.070 ✓ | जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 55. | 529 ✓ | 0.010 ✓ | जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| 56. | 528 ✓ | 0.130 ✓ | जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान |
| Total | 56 किता ✓ | 2.673 Ha. ✓ | |

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1854-भू-अर्जन-2020

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2020

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उचावदा परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

| अनुसूची (1) | | | | |
|------------------------|--|--------------|---|----------------------------------|
| उचावदा सिंचाई परियोजना | | | तहसील - जीरापुर | |
| क्र | विवरण | | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे) | |
| | निजी भूमि उचावदा सिंचाई परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से | | | |
| 1 | ग्राम उचावदा की भूमि | | 0.597 | |
| | योग | | 0.597 | |
| अनुसूची (2) | | | | |
| क्र | कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | हीरालाल, देवीलाल, पिता किशनलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम | 124 | 3.149 | 0.597 |
| | कुल योग - | | 3.149 | 0.597 |

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 11-15/2016/तीस- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-15/16/तीस, दिनांक 24/05/2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

2/ शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

| क्र. | राज्य | जिला | तहसील | स्थल | स्मारक का नाम | राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है | क्षेत्रफल | स्वामित्व | धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं |
|------|--------|------|--------|--------|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | म.प्र. | सतना | मझगवां | सरभंगा | यज्ञवेदी स्थल के प्राचीन मंदिरों के अवशेष | 51/1 | 18.736 में से 300x300 मी. क्षेत्र | म.प्र. शासन, वन विभाग | नहीं |
| 2 | म.प्र. | सतना | मझगवां | सरभंगा | शैलोत्कीर्ण गणेश प्रतिमा व ब्रम्हकुण्ड के समीप के मंदिर व छत्री | 45 | 0.198 | म.प्र. शासन, वन विभाग | नहीं |
| | | | | | | 46 | 0.129 | म.प्र. शासन, रास्ता | नहीं |
| | | | | | | 47 | 18.896 में से 300x300 मीटर क्षेत्र | म.प्र. शासन, पहाड़ | नहीं |
| 3 | म.प्र. | सतना | मझगवां | सरभंगा | महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर | 29 | 0.352 | म.प्र. शासन, वन विभाग | नहीं |
| | | | | | | 30 | 0.858 | म.प्र. शासन, वन विभाग | नहीं |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------|--------|--|----|---------------------------------|---|------|
| 4 | म.प्र. | सतना | मझगवां | सरभंगा | वृद्धाश्रम के पीछे का प्राचीन शिवमंदिर | 42 | 0.979 में से 100x100 | श्रीराम जानकी भगवान पुजारी श्री महन्त रामशिरोमणी दास चेला लक्ष्मणदास प्रबंधक कलेक्टर सतना | हाँ |
| 5 | म.प्र. | सतना | मझगवां | सरभंगा | शैलोत्कीर्ण चमुण्ड सांवर पहाड़ी (खदान क्षेत्र में स्थित) | 47 | 18.896 में से 50x50 मी. क्षेत्र | म.प्र. शासन, पहाड़ | नहीं |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सं 29

शिवपुरी, दिनांक 11 फरवरी 2020

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ किशनपुरा ग्राम पिछोर तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 4.25 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, ।

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 4.25 हेक्टेयर है जो ग्राम किशनपुरा तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) पिछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्र (हे.) | अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में | कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान | परिसंपत्तियों का ब्यौरा | |
|---------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | प्रकार | कुर्सी रेखा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| | 156 155 | भू-स्वामी | सिंचित | 0.19 0.42 | 0.15 0.35 | महेशप्रसाद ओमप्रकाश पुत्रगण प्रेमनारायण उर्मिला पुत्री प्रेमनारायण हि. 1/4 संजीवकुमार राजीवकुमार सुरेशकुमार ब्रजेशकुमार अनीलकुमार नावा. पुत्रगण देवकीनन्दन सुनीता रस्मी गीता देवी पुत्रीया देवकीनंदन नावा. सर माता गोदावाई मु. गोदावाई वेवा देवकीनंदन हि. 1/4 केशरदेवी वेवा केदारनाथ अनिल हर्षवर्धन हरिराम पुत्रगण केदारनाथ मुन्नी गीता पुत्री केदारनाथ जाति ब्रा. 1/2 | मकान की कुर्सी पक्की कुआ पक्का चबूतरा. पक्का | 1 1 1 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 152 | भू-स्वामी | असिंचित | 0.45 | 0.09 | सूर्यकांत चन्द्रकांत पुत्रगण कैलाशप्रसाद रचना रेखा पुत्रिया कैलाशप्रसाद मु. माया वेवा कैलाशप्रसाद हि0 1/2 माया वेवा रामेश्वर द्वाारक प्रसाद अम्बिकाप्रसाद बेनीप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण रामेश्वर 1/2 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------|---|-----------------------------------|-------------|--|
| 135 | मू-स्वामी | सिचित | 0.22 ✓ | 0.16 ✓ | महेशप्रसाद ओमप्रकाश पुत्रगण प्रेमनारायण उर्मिला पुत्री प्रेमनारायण हि. 1/4 सजीवकुमार राजीवकुमार सुरेशकुमार ब्रजेशकुमार अनीलकुमार नावा. पुत्रगण देवकीनन्दन सुनीता रस्मी गीता देवी पुत्रीया देवकीनन्दन नावा. सर माता गोदावाई मु. गोदावाई देवा देवकीनन्दन हि. 1/4 सीताराम हरीशंकर रामशरन सतीषकुमार विनोदकुमार दीपककुमार पुत्रगण मथुराप्रसाद हि. 6/16 गौरव सौरभ पुत्र राकेश रानी पुत्री राकेश मु. नारायणी देवा राकेश 1/16 राखी रश्मि पुत्री मिटटनलाल नु. नदिनी देवा मिटटनलाल 1/16 | कुआ पक्का पक्का कपरा चबूतरा पक्का | 1 1 1 | |
| 128 | मू-स्वामी | सिचित | 0.16 ✓ | 0.12 ✓ | रामरतन ओमप्रकाश रामवावू चतुर्जुज पुत्र नाथूराम मु. नर्मदा वाई देवा नाथूराम कमलाबाई रीलाबाई विमलाबाई रामदेवी मीराबाई लज्याबाई पुत्री नाथूराम जाति ब्रा. | कुआ कच्चा | 1 | |
| 125 | | | 0.19 ✓ | 0.02 ✓ | | | | |
| 121 | | | 0.23 ✓ | 0.20 ✓ | | | | |
| 119 | | | 0.52 ✓ | 0.20 ✓ | | | | |
| 120 | | | 0.35 ✓ | 0.02 ✓ | | | | |
| 129 | मू-स्वामी | असिचित | 0.4 ✓ | 0.05 ✓ | सीताराम हरीशंकर रामशरन शतीषकुमार दीपककुमार पुत्रगण मथुराप्रसाद 5/8 पुष्पा पाठक पति नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण 1/8 राखी रस्मी पुत्री मिटटनलाल मु. नन्दनी देवा मिटटनलाल हि. 1/8 गौरव सौरभ पुत्र राकेश रानी पुत्री राकेश मु. नारायणी देवा राकेश जाति ब्रा. 1/3 | | | |
| 123 | | | 0.24 ✓ | 0.12 ✓ | | | | |
| 117 | | | 0.52 ✓ | 0.02 ✓ | | | | |
| 166 | | | 0.71 ✓ | 0.14 ✓ | | | | |
| 116 | मू-स्वामी | सिचित | 1.31 ✓ | 0.41 ✓ | मुल्ला पुत्र सुल्ता | कुआ कच्चा | 1 | |
| 173 | मू-स्वामी | सिचित | 0.71 ✓ | 0.01 ✓ | श्रीमती पुष्पा पति नन्दकिशोर पाठक 65/71 प्राणीलाल पुत्र रामचरन जाति ब्रा. 6/7 | | | |
| 19 | मू-स्वामी | सिचित | 0.65 ✓ | 0.33 ✓ | रज्जू मनोज सलकू पुत्रगण धनुआ रामवती मुन्नी गीता पुत्र धनुआ जाति सहरिया 1/3 भरतू पुत्र गनपा जाति सहरिया 1/3 रजकू देवा पुन्ना रामसिंह वारेलाल बारेलाल फूलसिंह पुत्रगण पुन्ना झुन्नु फूला पुत्रीगण पुन्ना जाति सहरिया 1/3 | | | |

A

R.

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---------|------|------|--|--|--|
| 9 | 21 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 1.83 | 0.07 | पूरन पुत्र वंशी प्रीति बंसती पुत्रीगण बंशी मु. बुदिया बेवा बंशी जाति सहरिया | | |
| 10 | 159 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 1.32 | 0.01 | रवीकान्त पुत्र प्रगीलाल श्यामदाई बेवा प्रगीलाल ममता शशि पुत्र प्रागीलाल जाति ब्रा | | |
| 11 | 9/4 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 0.40 | 0.14 | करन पुत्र वंशी जाति आदिवासी | | |
| 12 | 9/5 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 0.40 | 0.06 | चैना पुत्र मोहना जाति आदिवासी | | |
| 13 | 9/6 ✓ | भू-स्वामी | असिंचित | 0.40 | 0.18 | धनुआ पुत्र जालम जाति सेहर | | |
| 14 | 9/7 ✓ | भू-स्वामी | असिंचित | 0.40 | 0.32 | किशोरी पुत्र लछुआ जाति आदिवासी | | |
| 15 | 6/1 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 0.65 | 0.01 | रामकिशन सुशील जितेन्द्र गोपी पुत्र बुध्दा मु. कलिया बेवा बुध्दा जाति आदि. | | |
| 16 | 6/2 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 0.65 | 0.2 | मानसिंह पुत्र किशनलाल जाति आदिवासी | | |
| 17 | 7/1 ✓ | भू-स्वामी | सिंचित | 0.50 | 0.37 | सीताराम पुत्र दुर्जन जाति आदिवासी | | |
| | | कुल कित्ता 32 | | रकवा | 4.25 | | | |

स्थान
दिनांक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निशून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पी. अनुग्रह, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 128-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | अर्जित की जाने वाली भूमि की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| सिवनी | तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन. | भैसनवाही प.ह.नं.-99. | 11.21 | कार्यपालन यंत्री, जल. संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. |

- अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
 - अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
 - अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
 - अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 129-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन. | जामुनपानी प.ह.नं.-100. | 11.58 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 130-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन. | पायली प.ह.नं.-109. | 0.40 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 131-भू-अर्जन.-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन. | गुदरां प.ह.नं.-99. | 23.90 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 132-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन. | बामहनवाड़ा प.ह.नं.-110. | 4.83 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 133-भू-अर्जन.-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन | सालीवाड़ा प.ह.नं.-109 | 17.53 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

सिवनी, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 628-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | | अर्जित की जाने वाली भूमि | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-छपारा रा.नि.मं.-चमारी खुर्द. | मुन्डरई प.ह.नं.-12. | 15.82 | कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | मटामा (मुँडरई) जलाशय के बांध निर्माण व डूब क्षेत्र हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छपारा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 629-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन. | विजना प.ह.नं.-106. | 4.80 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | मयमा (मुँडरई) जलाशय के पिक- अप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 630-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन. | गनेशागंज प.ह.नं.-105. | 0.45 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | मयमा (मुँडरई) जलाशय की गुंगवार मायनर नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 631-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 | अर्जित की जाने वाली भूमि |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन. | गुंगवारा प.ह.नं.-103. | 2.99 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | मटामा (मुंडरई) जलाशय की बांयी तट मुख्य नहर एवं गुंगवारा माइनर नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 632-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| जिला | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में) | भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिवनी | तहसील-छपारा रा.नि.मं.-चमारी खुर्द | सुखारैयत प.ह.नं.-12 | 7.58 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी. | मटामा (मुंडरई) जलाशय के डूब क्षेत्र. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छपारा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 0001-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:-

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | | धारा 12 के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | सर्वे नं. | रकबा (हे. में) | प्राधिकृत | का विवरण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| अशोकनगर | चन्देरी | चकखानपुर | 3/1 | 0.400 | परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर शिवपुरी. | चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना नहर खुली निर्माण कार्य. |
| | | | 3/2 | 0.619 | | |
| | | | 6 | 0.030 | | |
| | | | 12 | 0.176 | | |
| | | | 15 | 0.223 | | |
| | | | योग . . | 1.448 | | |

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 0002-अ-82-भू-अर्जन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:-

अनुसूची

एप्रोच चैनल पंप हाउस

| भूमि का विवरण | | | | | धारा 12 के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | सर्वे नं. | रकबा (हे. में) | प्राधिकृत | का विवरण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| अशोकनगर | चन्देरी | खानपुर | 32 | 0.116 | परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर शिवपुरी. | चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना खुली नहर निर्माण कार्य. |
| | | | 10 | 0.250 | | |
| | | | 11 | 0.182 | | |
| | | | 12 | 0.175 | | |
| | | | 13 | 0.203 | | |
| | | | 14 | 0.225 | | |
| | | | 15 | 0.096 | | |
| | | | 16/2 | 0.294 | | |
| | | | 17 | 0.268 | | |
| | | | 18 | 0.010 | | |
| | | | 3/2/1 | 0.107 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|-----|-----|
| | | | 3/2/2 | 0.107 | | |
| | | | 3/2/3 | 0.107 | | |
| | | | 3/2/4 | 0.107 | | |
| | | | 3/3/1 | 0.071 | | |
| | | | 3/3/2 | 0.071 | | |
| | | | 3/3/3 | 0.071 | | |
| | | | 71/2 | 0.154 | | |
| | | | 71/3/1 | 0.039 | | |
| | | | 71/3/2 | 0.039 | | |
| | | | 71/3/3 | 0.039 | | |
| | | | 71/3/4 | 0.039 | | |
| | | | 72/1 | 0.464 | | |
| | | | 72/2/1 | 0.116 | | |
| | | | 72/2/2 | 0.116 | | |
| | | | 72/2/3 | 0.116 | | |
| | | | 72/2/4 | 0.117 | | |
| | | | 112/1 | 0.007 | | |
| | | | 73/1 | 0.159 | | |
| | | | 73/2 | 0.160 | | |
| | | | 73/3 | 0.160 | | |
| | | | 73/4 | 0.160 | | |
| | | | 109 | 1.264 | | |
| | | | 176/2 | 0.755 | | |
| | | | 315/1 | 0.491 | | |
| | | | 315/मिन-2 | 0.491 | | |
| | | | 311 | 0.697 | | |
| | | | 312/2 | 1.577 | | |
| | | | 313 | 0.474 | | |
| | | | 303 | 0.068 | | |
| | | | 310 | 0.010 | | |
| | | | योग . . | <u>10.172</u> | | |

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 0003-अ-82-भू-अर्जन-वर्ष 2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई संव्यवहार नहीं करेगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:—

अनुसूची

एप्रोच चैनल पंप हाउस

| भूमि का विवरण | | | | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत | | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | सर्वे नं. | रकबा (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| अशोकनगर | चन्देरी | कुंअरपुर | 4 | 0.501 | परियोजना प्रबंधक ओर नदी | चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना |
| | | | 10/1 | 0.188 | परियोजना प्रबंधन इकाई | खुली नहर निर्माण कार्य. |
| | | | 10/2 | 0.188 | बामौर शिवपुरी. | |
| | | | 11 | 0.073 | | |
| | | | 12 | 0.136 | | |
| | | | 13 | 0.045 | | |
| | | | 30 | 0.084 | | |
| | | | 38 | 0.069 | | |
| | | | 39 | 0.070 | | |
| | | | 40 | 0.087 | | |
| | | | 41 | 0.080 | | |
| | | | 29 | 0.195 | | |
| | | | 26 | 0.156 | | |
| | | | 50/1, | 0.062 | | |
| | | | 50/2 | 0.063 | | |
| | | | 60 | 0.094 | | |
| | | | 61 | 0.038 | | |
| | | | 62 | 0.069 | | |
| | | | 63 | 0.095 | | |
| | | | 68 | 0.005 | | |
| | | | 67 | 0.139 | | |
| | | | 73 | 0.126 | | |
| | | | 74 | 0.100 | | |
| | | | 78/1 | 0.022 | | |
| | | | 78/2 | 0.022 | | |
| | | | 78/3 | 0.022 | | |
| | | | 78/4 | 0.022 | | |
| | | | 78/5 | 0.021 | | |
| | | | 81 | 0.450 | | |
| | | | 92/1 | 0.020 | | |
| | | | 92/2 | 0.030 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| | | | 94/1 | 0.075 | | |
| | | | 144 | 0.092 | | |
| | | | 145/1 | 0.003 | | |
| | | | 145/2 | 0.002 | | |
| | | | 146/1 | 0.034 | | |
| | | | 146/2 | 0.033 | | |
| | | | 147/1 | 0.024 | | |
| | | | 147/2 | 0.024 | | |
| | | | 147/3 | 0.023 | | |
| | | | 149 | 0.016 | | |
| | | | 150 | 0.104 | | |
| | | | 151 | 0.078 | | |
| | | | 152 | 0.038 | | |
| | | | 153/1 | 0.004 | | |
| | | | 153/2 | 0.002 | | |
| | | | 153/3 | 0.002 | | |
| | | | 154 | 0.091 | | |
| | | | 155 | 0.052 | | |
| | | | 187/1 | 0.005 | | |
| | | | 187/2 | 0.005 | | |
| | | | 188 | 0.020 | | |
| | | | 189 | 0.036 | | |
| | | | 196 | 0.043 | | |
| | | | 194 | 0.008 | | |
| | | | 190 | 0.054 | | |
| | | | 191/1 | 0.031 | | |
| | | | 191/2 | 0.063 | | |
| | | | 192 | 0.005 | | |
| | | | 193 | 0.146 | | |
| | | | 211/1 | 0.007 | | |
| | | | 211/2 | 0.007 | | |
| | | | 212 | 0.042 | | |
| | | | 213 | 0.073 | | |
| | | | 214 | 0.094 | | |
| | | | 215 | 0.105 | | |
| | | | 251 | 0.090 | | |
| | | | 250/1 | 0.037 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|---------|--------------|-----|-----|
| | | | 250/2 | 0.037 | | |
| | | | 253 | 0.042 | | |
| | | | 246 | 0.070 | | |
| | | | 245 | 0.040 | | |
| | | | 275 | 0.115 | | |
| | | | 274 | 0.008 | | |
| | | | 276 | 0.245 | | |
| | | | 282 | 0.057 | | |
| | | | 283/1 | 0.040 | | |
| | | | 283/2 | 0.040 | | |
| | | | 279 | 0.087 | | |
| | | | 278 | 0.264 | | |
| | | | 307/1 | 0.003 | | |
| | | | 307/2 | 0.003 | | |
| | | | 307/3 | 0.003 | | |
| | | | 308 | 0.063 | | |
| | | | 309 | 0.084 | | |
| | | | 310/1 | 0.104 | | |
| | | | 310/2 | 0.105 | | |
| | | | 311 | 0.094 | | |
| | | | 330 | 0.340 | | |
| | | | 329 | 0.491 | | |
| | | | 325 | 0.031 | | |
| | | | 313 | 0.483 | | |
| | | | 322 | 0.050 | | |
| | | | 323 | 0.105 | | |
| | | | 327 | 1.045 | | |
| | | | 659 | 0.511 | | |
| | | | 666 | 0.230 | | |
| | | | योग . . | <u>9.705</u> | | |

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 0004-अ-82-वर्ष 2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई संव्यवहार नहीं करेगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:—

अनुसूची

एप्रोच चैनल पंप हाउस

| भूमि का विवरण | | | | | धारा 12 के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | सर्वे नं. | रकबा (हे. में) | प्राधिकृत | का विवरण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| अशोकनगर | चन्देरी | मुरादपुर | 496 | 0.196 | परियोजना प्रबंधक ओर नदी | चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना |
| | | | 494 | 0.455 | परियोजना प्रबंधन इकाई | खुली नहर निर्माण कार्य. |
| | | | 493 | 0.083 | बामौर शिवपुरी. | |
| | | | 495 | 0.138 | | |
| | | | योग . . | <u>0.872</u> | | |

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. भू-अर्जन-01(अ-82)2018-19-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—बजाम
(ग) ग्राम—खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.430 हे., प.ह.नं. 161, रा.नि.मं., गाडासरई.

| खसरा नं. | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|----------|---|
| (1) | (2) |
| 1015/1 | 0.270 |
| 856 | 0.160 |
| योग . . | <u>0.430</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. 505-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—लखनादौन
(ग) नगरग्राम—मलखेड़ा, प.ह.नं. 89, रा.नि.मं.—लखनादौन
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.11 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| 47/1 | 0.23 |
| 90/7 | 2.88 |
| योग . . | <u>3.11</u> |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—मुंडा जलाशय के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 फरवरी 2020

पत्र क्र. 87-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—फुटौंथा
(घ) क्षेत्रफल—1.106 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 443/592/1/क | 0.012 | - |
| 451/1 | 0.094 | - |
| 452/1 | 0.002 | - |
| 452/2 | 0.016 | - |
| 481 | 0.029 | - |
| 487/1/क/1 | 0.022 | - |
| 487/1/ख | 0.236 | - |
| 497/1/क/1 | 0.131 | - |
| 556/1 | 0.322 | - |
| 556/10/1/क | 0.242 | - |
| कुल योग . . | 1.106 | 0.000 |
| महायोग . . | 1.106 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 89-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—पोइंथा कला
(घ) क्षेत्रफल—0.624 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 178/2 | 0.057 | - |
| 262/3 | 0.200 | - |
| 263 | 0.030 | - |
| 268/1/3 | 0.120 | - |
| 299/2/2 | 0.081 | - |
| 303/314/2 | 0.106 | - |
| 305/2 | 0.030 | - |
| कुल योग . . | 0.624 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.624 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 91-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर

| (ग) ग्राम—निरंजनपुर | | | (1) | (2) | (3) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| (घ) क्षेत्रफल—0.277 हेक्टेयर. | | | 211 | - | 0.049 |
| खसरा | अर्जित रकबा (हे. में) | | 244 | 0.288 | - |
| नम्बर | निजी भूमि | शासकीय भूमि | 246 | 0.019 | - |
| (1) | (2) | (3) | 247 | 0.242 | - |
| 18/78 | 0.202 | - | 252 | 0.019 | - |
| 32 | 0.075 | - | 253 | 0.394 | - |
| कुल योग . . | 0.277 | 0.000 | कुल योग . . | 2.108 | 0.183 |
| महायोग . . | 0.277 | | महायोग . . | 2.291 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 93-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—पटना खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—2.291 हेक्टेयर.

| खसरा | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------|-----------------------|-------------|
| नम्बर | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 171 | - | 0.077 |
| 173 | - | 0.057 |
| 183 | 0.211 | - |
| 184 | 0.110 | - |
| 185 | 0.138 | - |
| 201 | 0.269 | - |
| 203 | 0.130 | - |
| 209 | 0.283 | - |
| 210 | 0.005 | - |

पत्र क्र. 95-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—शाहा
(घ) क्षेत्रफल—0.126 हेक्टेयर.

| खसरा | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| नम्बर | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 376/1/1/क | 0.126 | - |
| कुल योग . . | 0.126 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.126 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 97-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—पासी
(घ) क्षेत्रफल—0.393 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 18 | 0.017 | - |
| 40 | 0.019 | - |
| 41 | 0.149 | - |
| 199 | 0.025 | - |
| 202 | 0.029 | - |
| 331 | 0.016 | - |
| 365 | 0.050 | - |
| 366 | 0.010 | - |
| 425 | 0.076 | - |
| 429 | - | 0.002 |
| कुल योग . . | 0.391 | 0.002 |
| महायोग . . | 0.393 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 99-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—भरजुना कला
(घ) क्षेत्रफल—0.481 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 414/3 | 0.112 | - |
| 461/1/क | 0.200 | - |
| 800/2 | 0.080 | - |
| 869/1/1 | 0.089 | - |
| कुल योग . . | 0.481 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.481 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 101-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—बराज
(घ) क्षेत्रफल—0.171 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 103 | 0.008 | - |
| 107 | 0.038 | - |
| 140 | 0.060 | - |
| 235 | 0.055 | - |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-------|-------|
| 244 | 0.010 | - |
| कुल योग . . | 0.171 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.171 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 103-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—करसरा
(घ) क्षेत्रफल—0.196 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 526 | 0.076 | - |
| 656 | 0.120 | - |
| कुल योग . . | 0.196 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.196 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 105-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु

आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल—0.186 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 362 | 0.026 | - |
| 366 | 0.160 | - |
| कुल योग . . | 0.186 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.186 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 107-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—मझगवां
(घ) क्षेत्रफल—0.213 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-------------|-----------------------|-------------|
| | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| (1) | (2) | (3) |
| 50/2 | 0.213 | - |
| कुल योग . . | 0.213 | 0.000 |
| महायोग . . | 0.213 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 109-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-----------|--------|--------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | रघुराजनगर | लिलौरी | 2.500 | कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग, क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.). | मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 111-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|------------|-------|--------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | बिरसिंहपुर | बरा | 5.500 | कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग, क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.). | मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्रमांक 60-भू-अर्जन-2019

रीवा, दिनांक 12 फरवरी 2020

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (6) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 23.04.19 से 23.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------------|--------|------------|---|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा है. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | खेरा नं0 3 | 59 | 0.010 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 62 | 0.038 | | |
| | | | 102 | 0.010 | | |
| | | | 64 | 0.018 | | |
| | | | 58 | 0.011 | | |
| | | | 65 | 0.006 | | |
| | | | 63 | 0.014 | | |
| | | | 218/2 | 0.012 | | |
| | | | 223 | 0.062 | | |
| | | | 91 | 0.040 | | |
| | | | 92/1, 92/2, 92/3, 92/4 | 0.084 | | |
| | | | 93 | 0.108 | | |
| | | | 96/1, 96/2 | 0.036 | | |
| | | | 202 | 0.053 | | |
| | | | 97 | 0.024 | | |
| | | | 201 | 0.048 | | |
| | | | 208 | 0.053 | | |
| | | | 218/1 | 0.089 | | |
| | | | 304 | 0.020 | | |
| | | | 303 | 0.038 | | |
| | | | 309 | 0.080 | | |
| | | | 440/1 440/2 | 0.052 | | |
| | | | 442 | 0.021 | | |
| | | | 441 | 0.054 | | |
| | | | 435/1, 435/2, 435/3 | 0.190 | | |
| | | | 312 | 0.052 | | |
| | | | 313/1/क 313/1ख 313/1ग 313/1/घ/1 313/1/घ/2 313/1/ङ 313/2 | 0.056 | | |
| 432/1 432/2 | 0.022 | | | | | |
| 433 | 0.032 | | | | | |
| 434 | 0.010 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|------------|--------|-------|--|---------------------------------|
| रीवा | हनुमना | खैरा नं0 3 | 209/1 | 0.024 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 225 | 0.010 | | |
| | | | 272/1 | 0.082 | | |
| | | | 272/2 | | | |
| | | | 272/3 | | | |
| | | | 294/1 | 0.037 | | |
| | | | 294/2 | | | |
| | | | 295 | 0.018 | | |
| | | | 296 | 0.051 | | |
| | | | 719/1 | 0.008 | | |
| | | | 719/2 | | | |
| | | | 719/3 | | | |
| | | | 719/4 | | | |
| | | | कुलयोग | 1.592 | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 61-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत खसरा नं0 134 दिनांक 05.07.19 से 05.07.2020 एवं शेष खसराओं का दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खानों (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | रहना | 134/1 | 0.128 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 134/2 | 0.022 | | |
| | | | 250 | 0.064 | | |
| | | | 135 | 0.016 | | |
| | | | 136 | 0.017 | | |
| | | | 138 | 0.032 | | |
| | | | 140/2 | 0.016 | | |
| | | | 246 | 0.070 | | |
| | | | 247 | 0.030 | | |
| | | | 239 | 0.030 | | |
| | | | 233 | 0.026 | | |
| | | | 224 | 0.026 | | |
| | | | 221 | 0.027 | | |
| | | | 218 | 0.024 | | |
| 219 | 0.008 | | | | | |
| | | | कुल योग | 0.536 | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 62-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|--------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | चन्देह | 187 | 0.323 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 194 | 0.010 | | |
| | | | 184 | 0.045 | | |
| | | | 129 | 0.024 | | |
| | | | 130 | 0.024 | | |
| | | | 199 | 0.007 | | |
| | | | 200 | 0.129 | | |
| | | | 201 | 0.049 | | |
| | | | 202 | 0.036 | | |
| | | | 203 | 0.048 | | |
| | | | 204 | 0.396 | | |
| | | | 299 | 0.004 | | |
| | | | 320 | 0.071 | | |
| | | | 300 | 0.094 | | |
| | | | 319 | 0.035 | | |
| | | | 306 | 0.018 | | |
| | | | 310 | 0.065 | | |
| | | | 307 | 0.016 | | |
| | | | 308 | 0.125 | | |
| | | | 340 | 0.008 | | |
| | | | 194 | 0.008 | | |
| | | | 41 | 0.038 | | |
| | | | 47 | 0.082 | | |
| 48 | 0.038 | | | | | |
| 34 | 0.080 | | | | | |
| 33 | 0.026 | | | | | |
| 29 | 0.168 | | | | | |
| 32 | 0.004 | | | | | |
| 28 | 0.114 | | | | | |
| 27 | 0.080 | | | | | |
| 26 | 0.038 | | | | | |
| 25 | 0.090 | | | | | |
| 103 | 0.007 | | | | | |
| 35 | 0.004 | | | | | |
| | | | कुलयोग | 2.304 | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 63-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (6) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 09.03.19 से 09.03.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|----------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | पट्टेहरा | 1723 | 0.072 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 1725 | 0.002 | | |
| | | | 1726 | 0.023 | | |
| | | | 1728 | 0.018 | | |
| | | | 1701 | 0.064 | | |
| | | | 254 | 0.012 | | |
| | | | 343 | 0.002 | | |
| | | | 394 | 0.034 | | |
| | | | 396 | 0.072 | | |
| | | | 397 | 0.072 | | |
| | | | 459 | 0.054 | | |
| | | | 458 | 0.024 | | |
| | | | 456 | 0.091 | | |
| | | | 455 | 0.058 | | |
| | | | 440 | 0.132 | | |
| | | | 444 | 0.017 | | |
| | | | 445 | 0.044 | | |
| | | | 420 | 0.048 | | |
| | | | 484 | 0.024 | | |
| | | | 245 | 0.028 | | |
| | | | 1623 | 0.018 | | |
| | | | 1627 | 0.054 | | |
| | | | 1628 | 0.024 | | |
| | | | 1629 | 0.024 | | |
| | | | 1696 | 0.079 | | |
| | | | 1316 | 0.082 | | |
| | | | 1318 | 0.059 | | |
| | | | 1321 | 0.033 | | |
| 1323 | 0.018 | | | | | |
| 1324 | 0.016 | | | | | |
| 1327 | 0.122 | | | | | |
| 1351 | 0.062 | | | | | |
| 1352 | 0.052 | | | | | |
| 253 | 0.059 | | | | | |
| 255 | 0.011 | | | | | |
| 256 | 0.014 | | | | | |
| 257 | 0.012 | | | | | |
| 273 | 0.030 | | | | | |
| 295 | 0.013 | | | | | |
| 296 | 0.008 | | | | | |
| 297 | 0.014 | | | | | |
| रीवा | हनुमना | पट्टेहरा | 298 | 0.034 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 299 | 0.004 | | |
| | | | 300 | 0.071 | | |
| | | | 316 | 0.018 | | |
| | | | 317 | 0.004 | | |
| | | | 319 | 0.039 | | |
| | | | 320 | 0.044 | | |
| | | | 346 | 0.014 | | |
| | | | 353 | 0.008 | | |
| | | | 3183 | 0.006 | | |
| 2309/1 | 0.016 | | | | | |
| 3210/2 | 0.004 | | | | | |
| 2499 | 0.020 | | | | | |
| कुल योग | | | 1.348 | | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 64-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 18.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | बहुती | 20/1 | 0.060 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 51 | 0.090 | | |
| | | | 50 | 0.028 | | |
| | | | 49 | 0.022 | | |
| | | | 39 | 0.027 | | |
| | | | 37 | 0.018 | | |
| | | | 36 | 0.028 | | |
| | | | 54 | 0.032 | | |
| | | | 61 | 0.086 | | |
| | | | 286 | 0.056 | | |
| | | | 281 | 0.012 | | |
| | | | 160 | 0.064 | | |
| | | | 280 | 0.018 | | |
| | | | 161 | 0.002 | | |
| | | | 162 | 0.030 | | |
| | | | 166 | 0.005 | | |
| | | | 170/2 | 0.012 | | |
| | | | 171/3 | 0.092 | | |
| | | | 270 | 0.084 | | |
| | | | 360 | 0.078 | | |
| | | | 361 | 0.047 | | |
| | | | 355 | 0.011 | | |
| | | | 366 | 0.025 | | |
| | | | 354 | 0.018 | | |
| | | | 353 | 0.013 | | |
| | | | 351 | 0.008 | | |
| | | | 348 | 0.016 | | |
| | | | 346 | 0.008 | | |
| | | | 492 | 0.004 | | |
| | | | 494 | 0.007 | | |
| | | | 495 | 0.011 | | |
| | | | 488 | 0.029 | | |
| 496 | 0.007 | | | | | |
| 503 | 0.003 | | | | | |
| 504 | 0.009 | | | | | |
| 501 | 0.074 | | | | | |
| 499/3 | 0.003 | | | | | |
| 511 | 0.041 | | | | | |
| 512 | 0.013 | | | | | |
| | | | 514 | 0.020 | | |
| | | | 426 | 0.004 | | |
| | | | कुलयोग | 1.215 | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 65-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-----------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | खजुरहन | 3/3 | 0.004 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 9 | 0.064 | | |
| | | | 10 | 0.134 | | |
| | | | 68 | 0.174 | | |
| | | | 74 | 0.017 | | |
| | | | 75 | 0.034 | | |
| | | | 76 | 0.013 | | |
| | | | 77 | 0.032 | | |
| | | | 79/1ख | 0.013 | | |
| | | | 61 | 0.018 | | |
| | | | 83 | 0.020 | | |
| | | | 85 | 0.010 | | |
| | | | 57 | 0.352 | | |
| | | | 93 | 0.048 | | |
| | | | 154 | 0.115 | | |
| | | | 158 | 0.017 | | |
| | | | 159 | 0.020 | | |
| | | | 163 | 0.004 | | |
| | | | 168 | 0.112 | | |
| | | | 166 | 0.048 | | |
| | | | 174 | 0.014 | | |
| | | | 180 | 0.012 | | |
| | | | 181 | 0.068 | | |
| | | | 178 | 0.078 | | |
| | | | 179/1 | 0.110 | | |
| | | | 182/1 | 0.114 | | |
| | | | 117 | 0.125 | | |
| | | | 113/1 | 0.048 | | |
| 114 | 0.056 | | | | | |
| 198 | 0.066 | | | | | |
| 196 | 0.040 | | | | | |
| 197 | 0.004 | | | | | |
| 210 | 0.045 | | | | | |
| 211 | 0.064 | | | | | |
| 216 | 0.020 | | | | | |
| 220 | 0.062 | | | | | |
| 221 | 0.003 | | | | | |
| 218 | 0.084 | | | | | |
| | | योग | 2.262 | | | |
| | | शास. 16/1 | 0.021 | | | |
| | | कुलयोग | 2.283 | | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 66-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | दुअरा | 351 | 0.038 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 350 | 0.060 | | |
| | | | 349 | 0.042 | | |
| | | | 348 / 2 | 0.020 | | |
| | | | 348 / 1 | 0.022 | | |
| | | | 347 | 0.030 | | |
| | | | 311 | 0.020 | | |
| | | | 310 | 0.082 | | |
| | | | 309 | 0.022 | | |
| | | | 153 / 1 | 0.024 | | |
| | | | 153 / 2 | 0.004 | | |
| | | | 158 | 0.074 | | |
| | | | 159 | 0.020 | | |
| | | | 359 / 1 | 0.066 | | |
| | | | 360 | 0.024 | | |
| | | | 361 / 1 | 0.038 | | |
| | | | 361 / 2 | 0.018 | | |
| | | | 362 | 0.004 | | |
| | | | 363 | 0.028 | | |
| | | | 377 | 0.036 | | |
| | | | 378 | 0.036 | | |
| | | | 146 | 0.008 | | |
| | | | कुल योग | 0.716 | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 67-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल | | धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------|----------------|----------|--|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हे. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रीवा | हनुमना | टड़हर | 151 | 0.004 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा | बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु |
| | | | 136 | 0.020 | | |
| | | | 150 | 0.012 | | |
| | | | 139 | 0.022 | | |
| | | | 137 | 0.010 | | |
| | | | 144 | 0.015 | | |
| | | | 127 | 0.012 | | |
| | | | 124 | 0.004 | | |
| | | | 91 | 0.055 | | |
| | | | 94 | 0.010 | | |
| | | | 93 | 0.016 | | |
| | | | 101 | 0.041 | | |
| | | | 184 | 0.034 | | |
| | | | कुल योग | | | |

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.